41–(08)–79–2019

पटना में दिनांक–21 जून, 2019 शुक्रवार को अपराह्न 5:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

1. सिविल अपील संख्या(एस॰)–2740/2007 उत्तर प्रदेश बनाम् सभी उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण बार एसोसिएशन के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण एवं जिला उपभोक्ता फोरमों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया, वेतन भत्ता एवं सेवा शर्त्त आदि में पारदर्शिता लाने हेतु बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 (समय–समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करते हुए बिहार उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार और बिहार राज्य के जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन भत्ते और सेवा शर्त) नियमावली, 2019 के गठन करने के संबंध में।

1. **स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

2. पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक शक्तियों की वित्तीय अधिसीमा की वृद्धि एवं तकनीकी शक्तियों के लिए प्रत्यायोजित नामित पदाधिकारी के नाम में संशोधन के संबंध में।

2. **स्वीकृत।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

3. केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) अंतर्गत समस्तीपुर जिला के पटोरी, मोहिउद्दीनगर एवं मोहनपुर प्रखण्डों के आर्सेनिक प्रभावित 67 ग्रामों/बसावटों में सतही जल का उपयोग जल स्रोत के रूप में करते हुए बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु स्वीकृत योजना को निरस्त कर वार्डवार योजना के आधार पर कार्यान्वयन की स्वीकृति।

3. **स्वीकृत।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

4. केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) अंतर्गत भोजपुर जिला के शाहपुर प्रखण्ड एवं उसके आस–पास के आर्सेनिक प्रभावित 75 ग्रामों/बसावटों में सतही जल (गंगा नदी) का उपयोग जल स्रोत के रूप में करते हुए बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु स्वीकृति योजना को निरस्त कर वार्ड आधारित योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति।

4. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

5. षष्ठम केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से 148 प्रतिशत के स्थान पर 154 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। — 5. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

6. पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की दरों में दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से 284 प्रतिशत के स्थान पर 295 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। — 6. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

7. बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग नियमावली, 2019 के गठन की स्वीकृति। — 7. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

8. सी०डब्लू०जे०सी०सं०–8177/2015 में दिनांक– 09.07.18 को पारित न्यायादेश, एल०पी०ए०सं० –1510 /2018 में दिनांक–23.04.2019 को पारित न्यायादेश एवं एम०जे० सी०सं०–3649/2018 में दिनांक 24.04.19 में पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु डा० विजय कुमार, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमेरा, नालंदा पुनः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीगंज, अररिया, को बर्खास्त करने संबंधी संकल्प सं०–1304(9), दिनांक–20.12.2017 को निरस्त करते हुए सेवा में पुर्नस्थापित करने के संबंध में। — 8. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

9. बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2006 में संशोधन के संबंध में। — 9. **स्वीकृत।**

सूचना प्रावैधिकी विभाग

10. बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि० के संगम ज्ञापन (Memorandum of Association) में संशोधन के संबंध में। — 10. **स्वीकृत।**

श्रम संसाधन विभाग

11.	श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2010 में संविदा के आधार पर नियोजित व्यवसाय अनुदेशकों में से कुल 212 (दो सौ बारह) व्यवसाय अनुदेशकों के नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 1029 दिनांक–19.01.2012 एवं संकल्प संख्या 17415, दिनांक 20.12.2012 को शिथिल करते हुए दिनांक–01.06.2019 से 31.05.2020 (एक वर्ष) तक अथवा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इन पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले घटित हो, के लिए अवधि विस्तार करने के संबंध में।	11. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

12.	भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत अंतरजिला एवं अंतर्राज्यीय सैरातों (फेरी एवं घाट सहित) को छोड़कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित सैरातों (फेरी एवं घाट सहित) का प्रबंधन एवं अनुरक्षण पंचायती राज विभाग के अधीन पंचायती राज संस्थाओं यथा–ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् को हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।	12. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

14.	बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना के डाटा केन्द्र के उत्क्रमण हेतु प्राक्कलित राशि ₹ 2062.43 लाख (रूपये बीस करोड़ बासठ लाख तेतालीस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।	14. **स्वीकृत।**